पत्रांक–9/विविध लगान/सेस स्थगित–53/2018–798 (9)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

फैक्स/
ई–मेल

जिला पदाधिकारी,
पटना/भोजपुर/बक्सर/कैमुर/
गया/जहानाबाद/नवादा/औरंगाबाद/
सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/
वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/मुंगेर/
शेखपुरा/जमुई/भागलपुर/बांका/नालंदा एवं
सहरसा।

पटना–15, दिनांक– 25-10-18

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राजस्व लगान एवं सेस की वसूली स्थगित रखने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या–2898 दिनांक–15.10.2018, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित आपको भी दी गई है, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकार द्वारा राज्य के कुल–23 जिलों के 206 प्रखंडों/अंचलों को सुखाग्रस्त घोषित किया गया है। उक्त अधिसूचना में सुखाग्रस्त अधिसूचित जिलों के किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एवं सेस, पटवन शुल्क, विद्युत शुल्क जो सीधे कृषि से संबंधित हो, की वसूली वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।

उक्त आलोक में अनुरोध है कि अपने जिले के सुखाग्रस्त प्रखंडों/अंचलों में राजस्व लगान एवं सेस की वसूली वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए स्थगित रखा जाय। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित अंचलाधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों को इन सुखाग्रस्त प्रखंडों के लिए निदेशित किया जाय एवं आम जनता को भी प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाय तथा भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र (LPC), यदि वर्तमान वर्ष का लगान अभी तक नही वसूला जा चुका है, इस परिस्थिति में, गत वर्ष के लगान वसूली के आधार पर निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 24/10
प्रधान सचिव।